

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

ब

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

बनाम.....
बालू राम रामकेश

मु.नं. 194/4

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुक्म की तालीम
 में जारी हुए

8/11/24 पत्रावली पेश हुई। पीठसभित अधिकारी
 विधानसभा के निपचिन कार्य में व्यस्त होने से
 न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली स्वर्णपुर
 डिक्री 6/12/24 को पेश की।

6/12/24

पत्रावली पेश हुई। पत्रकारान डी वार-2
 आ गज लगायी गयी। वादी एवं उनके अधिआत्मक
 अनुपास्थित, प्रतिवादी संख्या 1 रामकेश के
 अधिआत्मक उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 डी
 और रने प्रार्थनापत्र वाक्य दाया अवेट
 किया जाने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें
 उल्लेख किया डी प्रतिवादी संख्या पबडी
 का निधन 12/8/21 को हो गया है।
 इस कारण वादी अधिपत्ता से 90 दिवस
 के भीतर न्यायालय डी प्रद सूचना गयी की
 है। इसलिये वाक्यपत्र डी रजारीज किया
 जाये। वाक्यपत्र में वादी द्वारा लम्बे समय
 से प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 3 की
 माली प्रस्तुत नहीं की जा रही है रूपलट
 है कि वादी पत्रावली में कोई कार्यवाही
 करने के बन्दुक नहीं है। इसलिये प्रद
 वाक्यपत्र वादी डी अदम हाजरी व अदम पेशकी
 में रजारीज किया जाता है। पत्रावली के मल
 शुमार होकर रजारीज दफतर डी।

उपखण्ड अधिकारी
 मण्डावर (दौसा)

